



**POLICE COMMISSIONERATE**



## **GAUTAM BUDH NAGAR**

**सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 06.10.2025**

1. थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा टप्पेबाजी कर महिलाओ से कीमती सामान की ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 कान की टॉप्स पीली धातु , एक लॉकेट पीली धातु मय लाल सफेद मोती की माला के एवं 9780/- रुपये नकद बरामद ।

**कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण--** थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा दिनांक 06/10/2025 को एफ ब्लॉक सेक्टर-22 बारात घर के पास से टप्पेबाजी कर महिलाओ से कीमती सामान की ठगी करने वाले तीन अभियुक्त 1. कमल हसन पुत्र शेरी खान 2. दिलशेर पुत्र अली हसन 3. वाजिद पुत्र असाम को **गिरफ्तार** किया गया है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--**

1. कमल हसन पुत्र शेरी खान निवासी ग्राम सरमथला थाना सोहना जिला गुरुग्राम हरियाणा, उम्र करीब 36 वर्ष
2. दिलशेर पुत्र अली हसन निवासी चांदमारी झुग्गी झोपडी सेक्टर-11 प्रताप विहार थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष
3. वाजिद पुत्र असाम निवासी भलस्वा डेयरी थाना बलस्वा जिला दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष

### **⇓ अभियुक्त कमल हसन का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0 429/25 धारा 318(4) / 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 413/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

### **⇓ अभियुक्त दिलशेर का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0 429/25 धारा 318(4) / 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 413/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 697/2024 धारा 303(2) / 318(4) बीएनएस थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर
4. मु0अ0सं0 745/2024 धारा 303(2) / 318(4) बीएनएस थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर
5. मु0अ0सं0 341/2024 धारा 303(2) / 318(4) / 317(2) बीएनएस थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर
6. मु0अ0सं0 362/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर
7. मु0अ0सं0 001/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर
8. मु0अ0सं0 882/2015 धारा 328/379/411 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद

## ⇓ अभियुक्त वाजिद का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 429/25 धारा 318(4) / 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 413/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण--

02 कान की टोप्स पीली धातु ,  
एक लॉकेट पीली धातु मय लाल सफेद मोती की माला के  
9780/- रुपये बरामद ।

## 2. थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी पिस्टल मय 06 जिंदा कारतूस व कार बरामद ।

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 06.10.2025 को सेक्टर-49 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से वांछित अभियुक्त योगेश यादव पुत्र स्व0 चरण सिंह उर्फ पप्पू को बिजली घर सेक्टर-50 नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी पिस्टल मय 06 जिंदा कारतूस व फॉर्च्यूनर कार रजि0 नं0 UP32HQ3004 (अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज) बरामद की गई है ।

**पूछताछ/ घटना का संक्षिप्त का विवरण--** अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 04.10.2025 की वह अपनी पत्नी से मिलने बहलोलपुर से आया था जिससे बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई। इसके बाद जब वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी गली नं. 4, ग्राम होशियारपुर से निकाल रहा था, तभी सफाई कर्मों के साथ विवाद हो गया व गुरुसे में अभियुक्त योगेश यादव ने पिस्टल निकालकर उसे डरा-धमका दिया था। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

योगेश यादव पुत्र स्व0 चरण सिंह उर्फ पप्पू निवासी ग्राम बहलोलपुर, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, उम्र 34 वर्ष।

## पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 300/2025 धारा 352,115(2),351(2),109(1) बीएनएस, धारा 3(1)(द)(ध),3(2)(Va ) SC/ST एक्ट व 30 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी पिस्टल मय 06 जिंदा कारतूस
2. फॉर्च्यूनर कार रजि0 नं0 UP32HQ3004 (अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज)